



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256947
CG-DL-E-05092024-256947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946

No. 496]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम, 1987 के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003 को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त नियमों के अधीन राष्ट्रीय बचत स्कीम के अभिदाताओं के खाते में 1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेष पर कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा।

[फा. सं. 14/1/2018-एनएस-भाग (1)]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2024

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the National Savings Scheme Rules, 1987, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number G.S.R. 177(E), dated the 1st March, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that the balances at the credit of the subscribers of the National Savings Scheme under the said rules, on or after the 1st day of October, 2024, shall bear no interest.

[F. No. 14/1/2018-NS-Part(1)]
ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.